



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक ३४]

शुक्रवार, मार्च १९, २०२१/फाल्गुन २८, शके १९४२

[पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ९.००]

असाधारण क्रमांक ७६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

आदिवासी विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च, २०२१

अधिसूचना

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. क्र. २३)

क्रमांक एसटीसी-२११९/प्र.क्र. ३४/का. १०.—महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. क्र. २३) याच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि अधिसूचना, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक एसटीसी. १००१/प्र.क्र. २७ (भाग २)/का. १०, दिनांक ४ जून, २००३, क्रमांक एसटीसी १००६/प्र.क्र. १८६ (भाग २)/ का. १०, दिनांक १६ जुलै, २००७ आणि क्रमांक. एसटीसी-२११९/प्र.क्र. ३४/का. १०, दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२०, आणि यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे विद्यमान तपासणी समित्यांव्यतिरिक्त पुढील तपासणी समित्यांची स्थापना करीत आहे तसेच उक्त अधिनियमाच्या हेतूसाठी त्यांची कर्तव्ये आणि त्यांचे अधिकारक्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे :-

(६) अनुसूचित जमातीच्या संदर्भात सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यासाठी "तपासणी समिती" पुढीलप्रमाणे असेल :-

(१) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, ठाणे.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१)

भाग चार-ब--७६-१

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च १९, २०२१/फाल्गुन २८, शके १९४२

(२) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(३) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(५) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, अमरावती.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(६) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(७) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(८) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गडचिरोली.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(९) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पालघर.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१०) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट, जिल्हा नांदेड.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(११) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, यवतमाळ.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१२) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गडचिरोली-२.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१३) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर-२.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार-२.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सहआयुक्त (आदिवासी विकास) | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१५) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-२.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सहआयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य-सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(ii) प्रत्येक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे अधिकारीतेचे क्षेत्र खालीलप्रमाणे असेल :-

क्र.	तपासणी समितीचे नाव	क्षेत्र
(१)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , ठाणे	मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
(२)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , नाशिक	नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, बागलान, कळवण, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर व इगतपूरी हे तालुके
(३)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पुणे	पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर
(४)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , औरंगाबाद	औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद
(५)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , अमरावती	अमरावती, अकोला, बुलढाणा
(६)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , नागपूर	नागपूर, वर्धा
(७)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , नंदुरबार	नंदुरबार
(८)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , गडचिरोली	गडचिरोली
(९)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर	पालघर

(१०)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट, जिल्हा नांदेड	नांदेड, हिंगोली, लातूर
(११)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, यवतमाळ	यवतमाळ, वाशिम
(१२)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गडचिरोली-२	चंद्रपूर
(१३)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर-२	गोंदीया, भंडारा
(१४)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार-२	धुळे, जळगाव
(१५)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-२	नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, देवळा, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला व सित्रर हे तालुके व अहमदनगर जिल्हा

(iii) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन), अधिनियम, २००० (२००१ चा महाराष्ट्र क्र. २३) व महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २००३ मधील तरतूदीनुसार तपासणी समित्या कार्य करतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

डॉ. अनूप कुमार यादव
शासनाचे सचिव.